संख्या– 758 / 14–2–2018–800(12) / 2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2018**

विषय :– एटा में अलीगढ़–कानपुर सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के किमी 186 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / यूपी / 06 / 12 / 2018 / एफसी / 186 दिनांक 01.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–2753 / एटा–एनएच–91 / 22374 / 2017 दिनांक 26.03.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :–

No.	Observation of GOI	Reply
1	Three proposals FP/UP/Road/24596/2017, FP/UP/Road/23288/2016 and FP/UP/Road/22374/2016 appears to be part of widening of National Highway 91 and total extent of diversion is more than 100 ha which requires site inspection from Regional Office, MoEF&CC as per guidelines of FCA 1980.	वन संरक्षक, (के0) वन, पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्या0 लखनऊ द्वारा दिनांक 20 व 21. 03.2018 को प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter

2.	Three exists a rounding off error in totaling extent of village wise forest area at B 2.3 in Part-I	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट–1 के बी 2.3 को संशोधित कर दिया गया है।
3.	As per GIS DSS analysis of proposed forest land for diversion, following issues need rectification : a) The area of proposed forest Diversion in 56.52 fa. Whereas the proposal is submitted for 65.495 ha. Either Kml files are erroneous or calculation of area is incorrect. b) Overlay of kml file of proposed Forest land diversion on Google Earth image shows lateral shift.	a) संशोधित केएमएल &DSS Maps संलग्न है व ऑनलाइन भी अपलोड कर दी गयी है। b) KML files संशोधित कर ऑनलाइन भी अपलोड कर दी गयी है।
4.	Benefit Cost analysis of the proposal is not as per latest guidelines of MoEF&CC. This needs revision.	यूजर एजेन्सी द्वारा नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार Cost Benefit analysis तैयार कर दिये गये हैं, जो प्रस्ताव में पृष्ठ–24 से 46 तक संलग्न है।
5.	In land schedule prepared for forest land calculation, one additional column for balance available width of PF after deducting for proposed width for diversion shall be provided.	यूजर एजेन्सी का शपथ–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है, जो कि वन, पयर्सावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा त्रुटियों के निवारण हेतु मान्य है।
6.	As per GIS DSS Analysis of proposed Compensatory afforestation following issues need rectification a. Uploaded Kml files for CA at 13 (i)-3&4 are not accessible and showing error. b. The Extent of CA proposal suitable for plantation is 128 ha only. One 4 ha. patch is a water body An Attentional patch of extent more than 3 ha. is needed to meet the short fall.	a) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु के0एल0एल0 फाइल संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है। b) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 20/ए से 20/बी तक संलग्न है।
7.	Site Inspection Report of DFO Mentions translocation of 201 number of Ficus Trees. a) A detailed estimate along with suitable location for translocation shall be submited by the concerned division. b) Undertaking from user agency is needed to fund the proposal. c) State Government shall specifically recommend this additional proposal.	a) सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है। b) यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अन्डरटेंकिग की मूल प्रतियां संलग्न है। c) कार्यवाही उ0प्र0 सरकार द्वारा किया जाना है।

2— अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 26.03.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–758(1)/14–2–2018–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter